

KLS/3S-5.40

(THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.)

THE COPYRIGHT (AMENDMENT) BILL, 2010

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, be taken into consideration.

(Contd by 3T/PK)

-KLS/PK/3T/5.45

SHRI KAPIL SIBAL (CONTD.): Sir, we are in the midst of a new era, which I call the digital era. In this new digital world, the nature of rights of various stakeholders need to be looked at afresh. As technology moves forward and new innovations give scope to accessing entertainment to ordinary people in this country through the digital world, we need to understand its complexity and to ensure that key stakeholders are protected and are conferred with rights, so that they could take benefit of the new technologies in this new era. It is in this larger context that I am moving this Bill for the consideration of this House. A time comes in the life of a legislation that we need to

move away from the past and embrace the future. We have been witnessing a situation in the past where certain key stakeholders have had access to rights and other stakeholders, who are the creators of intellectual property, have been denied that access. We are in an era where the visually impaired can now use technologies to empower themselves. We are in an era where the resolution of disputes between key stakeholders must be addressed and a permanent mechanism be created for the resolution of those disputes. We are in an era where international treaties to which we are signatories, which hold the peace, persuade us to bring our laws consistent with those international conventions. Sir, I would like to address this issue in seven parts because I would not like to take the time of this House by dealing with individual sections. But there are seven broad areas which are reflected in these amendments; that need to be addressed. Number one, the rights of authors and music composers who are the real creators of intellectual properties. Number two, the rights conferred to the visually impaired. Number three, extending the compulsory licence regime to unpublished works other than orphan works. Number four, having a new regime of statutory licences in respect of cover version recordings and a statutory licence for

broadcasters. Number five, bringing the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty and ensuring that our Copyright Act provisions are consistent with those treaties, so that we enlarge the right of performers. Number six, impose certain exceptions and limitations wherein we stipulate that certain Acts will not be deemed to be infringement of the copyright laws. Number seven, some punitive action for those who still seek to infringe the Copyright law through new technologies.

(Contd. by 3U/PB)

PB/3u/5.50

SHRI KAPIL SIBAL (CONTD.): These, Sir, are the seven broad areas which are dealt with in these amendments, and I would like to address each of these areas succinctly for the consideration of this House.

The first, Sir, is related to the protection of authors and music composers. Sir, as you know, the regime that has existed in the past has been that the real creator who creates that intellectual property like the wonderful artist who played the Santoor the other day in the Central Hall, Shiv Kumar Sharma, then Shubaji who enthralled us with her music and her vocal performance, gets no share of the profits. These are the people who are the real creators and who form the

backbone of the artistic world. They are creators on which the business community relies for their creativity to take the entertainment industry forward.

In the past what has happened is that those who have money power have sought the assignments of their intellectual property unconditionally to themselves and, then, use that assignments for the purposes of exploiting that work, not just in cinema, but through other mediums, the result of which has been that the artist who is the creator of intellectual property gets no share of the profits. That has been the legacy of this industry in the past. We want to correct that thing. We want to ensure that the author, the music composer and the artist have equal share in the profits that the Assigno makes through other mediums, and it is in that context that we have amended Section 17 of the Act, wherein, we say the following. We put a proviso in that Section which reads: 'Provided further that in the case of any work incorporated in a cinematograph work nothing contained in clauses (b) and (c) shall affect the right of the author in the work referred to in clause (a) of sub-section (1) of Section 13.' So, the right of the author is preserved. The right of the author is protected. Similarly, in Section 18, which deals with assignments, we

have added another proviso which says: ‘Provided also that the author of the literary or musical work included in a cinematograph film shall not assign or waive the right to receive royalties to be shared on an equal basis with the assignee of copyright for the utilization of such work in any form other than for the communication to the public of the work along with the cinematograph film in a cinema hall, except to the legal heirs of the authors or to a copyright society for collection and distribution and any agreement contrary to that shall be void.’” What is the purpose of this? The purpose of this is that in the past, these rights used to be assigned. The author had no share in the exploitation of that work through another medium, and now we are ensuring that the author has equal share in the distribution of the profits made by the assignee through another medium. The same is being protected with respect to the literary or musical work included in a sound recording. So, the author is being protected and the music composer is being protected so that they have equal share in the profits that will be earned through other mediums. We have also decided to determine the mode of assignment which is reflected in Section 19 wherein we say, “No assignment of copyright in any work to make a cinematograph film shall affect the right of the author of the

work to claim an equal share of royalties and consideration payable in case of utilization of the work in any form other than for the communication to the public of the work, along with the cinematograph film in a cinema hall.”

(Contd. by 3w/SKC)

3w/5.55/skc

SHRI KAPIL SIBAL (CONTD.): And, the same applies to sound recordings, the idea being, you can have the work assigned, but you cannot have the royalties assigned. You can use that work through other mediums, but there can be no assignment on royalty. So, the author and the music composer would share royalty with the producer, the assignee, in equal terms. That is really the concept behind these amendments, protecting the right of the author and the music composer. We have had to, therefore, amend Sections in The Copyright Act in respect of copyright societies, wherein we are ensuring equal representation of both authors and composers and owners of rights in copyright societies so that the member of the copyright society is not limited only to producers. There is equal representation of the creators of copyright as well as those who exploit the copyright. And, therefore, we have made amendments in

Section 33 to that effect, and I would quickly refer to it. This is an amendment to Section 33; we have added a proviso: “Provided further that the business of issuing or granting licence in respect of literary, dramatic, musical and artistic works incorporated in a cinematograph film or a sound recording shall be carried out only through a copyright society duly registered under this Act; provided also that the registration granted to a copyright society under sub-Section 3 shall be for a period of five years and may be renewed from time to time before the end of every five years; provided further that the renewal of the registration of a copyright society” — and this is important — “shall be subject to the continued collective control of the copyright society being shared with the authors of works in their capacity as owners of copyright or of the right to receive royalty.”

So, the authors are now sharing the ownership of the copyright. They are equal partners in this enterprise; they equally share it. And, therefore, the copyright societies which collect the royalties, collect the monies, will share those monies equally with the authors. And that is the amendment that was required under The Copyright Act, and that we have done so that the authors and other owners are also equally represented in these societies.

We wanted, actually, to give this right also to the principal Director. So, remember, there may be many elements in this -- the music composer, the author, the photographer, the choreographer, who have contributed to the Industry, who are also creators.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: And the actors!

SHRI KAPIL SIBAL: And the actors, and, of course, the Director. Director has an enormous role to play in the making of a film. In fact, he is, according to me, perhaps, the principal creator. And I very much wanted that the principal Director should actually share in the same profits. But, unfortunately, there was a feeling in the Standing Committee that the time was not right for the Indian Industry to give that equal share to the Director. Therefore, I bowed to the wisdom of the Standing Committee and, therefore, we are dropping that particular amendment that I had proposed and which intended to give those rights to the principal Director as well. Therefore, we also had to amend Section 2 to ensure that this does not happen; that right is not given to the principal Director; we have had to amend section 17 and Section 26 so that the principle Directors have no share in the profits. So, this is the first issue that I wanted to place before the hon. Members of this House.

The second relates to the visually impaired. I think new technologies are now out there for the visually impaired to access, to empower themselves, to educate themselves, to participate in the life of the nation, to contribute to the society and, therefore, we had to give those rights under Section 52(1)(zb) and I will just indicate to you what those rights are. We are now saying that the adaptation, reproduction issue of copies of communication to the public, of any work in any accessible format by any person to facilitate persons with disability to access to works including sharing with any person with disability of such accessible format for private or personal use, educational person or research or any organization working for the persons with a disability, in case of the normal format prevents the enjoyment of such works by such persons...

(cd. by 3x/hk)

MCM-HK/3x/6.00

SHRI KAPIL SIBAL (CONTD.): "Provided that copies of the works in such accessible format are made available to the persons with disabilities on a non-profit basis but to recover only the cost of production: Provided further that the organization shall ensure that the copies of works in such accessible format are used only by persons

with disabilities and takes reasonable steps to prevent its entry into ordinary channels of business." So, we are protecting those visually impaired and giving them the right for access to any format of technology for the purposes of their empowerment, and no fee, no royalty and nothing can be charged. Of course, if there are a set of persons which want to use this material and provide it to the visually impaired for profit, in that case, they will have to take a compulsory licence. Otherwise, the works can be used in any format, and this is reflected again in Section 31B. Section 31B states as follows: "Any person working for the benefit of persons with disability on a profit basis or for business may apply to the Copyright Board. The Copyright Board is bound to grant them a licence." Then, of course, this activity can be done for profit as well. That is the second issue that I wanted to place before the distinguished Members of this House. The third is, granting a compulsory licence under Section 31A. This is a new section. We are now, as I indicated in my opening intervention ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Minister, wait for a second. It is six o'clock. It is already decided by leaders that we

would pass this Bill today. I have the consensus. I hope the House agrees to it. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, बिल पेश हो गया है और छः बज रहा है,.....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It was decided that it would be passed today. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : कल की भी तैयारी करनी है। उच्च सदन में वैसे भी पांच बजे के बाद काम वर्जित था। उच्च सदन यह सोचकर बना था कि यहां के मेम्बर्स को 5 बजे के बाद का समय रिलेक्स होने के लिए दिया जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको कल 12 बजे के बाद रखें या Monday को फर्स्ट आइटम रख लें, जिससे कि हम लोग अपने विचार रख सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It was also decided in the Business Advisory Committee that it would be passed today. If everybody cooperates and speaks for five minutes each, we can finish it in one hour. ...(Interruptions)...

SHRI NARESH AGRAWAL: It is not possible to finish it in one hour. ...(Interruptions)... आप बतला दीजिए कितने बजे तक सदन चलेगा?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We will take it up to 7.30. ...(Interruptions)... In half-an-hour ...(Interruptions)... We can postpone it with the consent of the House. ...(Interruptions)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the time allotted for discussion is two hours.
...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We will pass this Bill and adjourn. ...(Interruptions)... Don't try to change the decision already taken. ...(Interruptions)... Don't try to change the decision already taken. ...(Interruptions)... Mr. Rajeeve, please don't do this. ...(Interruptions)... Please, don't do this. ...(Interruptions)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Two hours are allotted.
...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Two hours are there.
...(Interruptions)... Half-an-hour passed; it will be over by 7.30.
...(Interruptions)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, it is not possible. ...(Interruptions)...
यह एक घंटे में खत्म नहीं होगा। How can you give this ruling?
...(Interruptions)... It is not possible. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is given two hours.
...(Interruptions)... It was decided. ...(Interruptions)... That is the ruling. ...(Interruptions)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Two hours is excluding the Minister, not including. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Agrawalji, please.

...(Interruptions)... अग्रवाल जी, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बैठिए।

(Contd. by 3y/GSP)

GSP-NB-3Y-6.05

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) (Contd.): We took a decision earlier that we will pass it. Everybody is party to this decision. Please don't violate the gentlemen's agreement. But I request every hon. Member to be brief. (Interruptions) Please.

DR. V. MAITREYAN: Say this to the hon. Minister. (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: I will finish in ten minutes. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please.

(Interruptions) Mr. Minister, how many more minutes do you want?

(Interruptions)

श्री कपिल सिब्बल : मैं बैठ जाता हूँ, आप बात कर लीजिए, कर लीजिए पास ...

(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Minister, have you moved it? (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: I have moved it. (Interruptions) If the Members do not want to listen, I have to move it.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): During your reply, you can say the remaining things. (Interruptions) Please. Now, according to this list, the first speaker is Shri Ravi Shankar Prasad. Shri Javed Akhtar has also given a request. *Akhtar Saheb*, do you want to speak first or do you want to speak after him? (Interruptions)

SHRI JAVED AKHTAR: He is my senior. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He has agreed. आप बोलिए, वे सहमत हैं। Everybody wants to listen to you. सभी लोग आपकी स्पीच सुनना चाहते हैं। It is your maiden speech. बोलिए।

SHRI JAVED AKHTAR (NOMINATED): Mr. Vice-Chairman, Sir, I must immediately declare that whatever I speak here will have something to do with this Bill under consideration, which has something to do with the music industry. I work for the music industry. My relationship with music is like a farmer's relationship with agriculture, or, a lawyer's relationship with judiciary. So, I hope, it will not be considered as any kind of conflict of interest.

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं तीन बरस से यह स्पीच तैयार कर रहा था, मेरे पास बहुत नोट्स हैं और बहुत मैटीरियल है, लेकिन मैंने उसे फेंक दिया, इसलिए कि जब मैं यहां बैठा था और सुन रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ और भी बातें हैं, शायद जो बात मैं कह रहा हूँ, उससे भी ज्यादा हैं। मैं एक writer हूँ, मैं एक lyricist हूँ, लेकिन इन तमाम चीजों से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और जब मुझे मालूम होता है, यह तो 60-65 साल पहले की बात है कि लकीर पुंछ से खींची गई है, ये तो हिंदुस्तानी हैं, जो वहां trapped हैं। ये कौन लोग हैं? ये आज से 65 साल पहले तो हिंदुस्तानी ही थे। ये वहां घिरे हुए हैं। इनमें और अंगोला में जो हिंदुस्तानी हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारा फर्क है कि हम बहुत संजीदगी से इसके बारे में सोचें, लेकिन मुझे यहां जो बातें सुनने को मिलीं, वे एक आदमी के बारे में, एक incident के बारे में सुनने को मिलीं। Incident और आदमी बड़े मामूली होते हैं, पीछे होता है ज़हन, पीछे होती है ideology, पीछे होती है thinking, पीछे होता है mindset. पाकिस्तान का mindset क्या है? आप किस मुल्क से मांग रहे हैं कि वह अपनी minority को सही तरीके से ट्रीट करे? जिस मुल्क की बुनियादों में ही नफरत डाली गई है, जो नफरत की वजह से बना है, आप उससे कह रहे हैं आप अपनी minority को ठीक से ट्रीट करिए। अगर वह अपनी minority के साथ सही सुलूक करे, अगर वह हर इंसान को इंसान समझे, अगर वह हर citizen को बराबर का citizen समझे, तो पाकिस्तान क्यों बनाया था?

मेरा एक शेर है -

मेरी बुनियादों में कोई टेढ़ थी,

अपनी दीवारों को क्या इल्जाम दूँ?

इसकी बुनियाद में टेढ़ है, आप इसकी दीवारों को सीधा करने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे सीधी होंगी? ये दीवारें तो टूटेंगी ही, और कुछ नहीं होने वाला। दीवार 1971 में टूटी थी, दीवार फिर टूटेगी। ये बड़ा politically correct statement है “We want a stable Pakistan”. मुझे तो politics में नहीं जाना है, न कोई पार्टी join करनी है, न मुझे किसी का वोट चाहिए। I do not want a stable Pakistan because it is not possible, it is beyond any possibility. जिस चीज पर वह बना है, वह stable हो ही नहीं सकती।

(उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाट्टीयप्पन) पीठासीन हुए)

आज बलूचिस्तान का जो चीफ है, BLA का जो चीफ है, दो बरस पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया था, edict जारी किया था कि बलूचिस्तान में कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी पारसी is most welcome, लेकिन कोई भी पंजाबी मुसलमान और कोई उर्दू स्पीकिंग मुसलमान यानी मुहाजिर हम यहां accept नहीं करेंगे। That much for the religious identity. आप तो मुसलमान तब तक हैं, जब तक हिंदू हैं। जब हिंदू ही खत्म कर दिए, तो आप शिया हो गए, सुन्नी हो गए, पता नहीं क्या-क्या हो गए? पहले तो सब मुसलमान थे, जब पाकिस्तान बन रहा था। फिर अहमदिया नहीं रहे, कादियानी नहीं रहे, अब कहते हैं कि शिया, मुसलमान नहीं हैं। दो रवैये हैं ज़िंदगी के, एक अपनाने

के, दूसरा छोड़ने के। जब आदमी छोड़ने के रास्ते पर चलता है, तो छोड़ता ही चला जाता है। उसकी कोई हद नहीं है।

(3Z/MP पर जारी)

MP-RG/3Z/6.10

श्री जावेद अख्तर (क्रमागत) : उसकी कोई हद नहीं। यह शेर तो इन्हीं के मुल्क के एक बहुत बड़े शायर का है —

“तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करे,

जिस शाखे नाज़ुक पर आशियाना बनेगा ना पायदार।”

जो कमज़ोर डाली पर आशियाना बनाओगे, तो वह तो गिरने ही वाला है। कमज़ोर डाली है, मुल्क धर्म से नहीं बनते। हमारे मुल्क में भी लोगों को सीखना चाहिए कि मुल्क धर्म से बनाओगे, तो यह होगा। मुल्क बनते हैं कल्चर से, मुहब्बत से, अपनाइयत से, तमाम चीज़ें एक-दूसरे से अलग हैं, लेकिन आप जुड़कर रहें, तब मुल्क बनता है। मैं फ़ख़ से कहता हूँ कि मैं उस मुल्क का बाशिन्दा हूँ कि जिस मुल्क में मैं पच्चीस बार आर.एस.एस. के खिलाफ़ स्टेटमेंट दे चुका हूँ, लेकिन जब मुझे कॉपीराइट की जरूरत पड़ती है, तो मैं अरुण जेटली साहब के पास जाता हूँ और वे मेरी बात सुनते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह है हिन्दुस्तान ! हिन्दुस्तान यह है कि मैं आगरा गया और मैंने जब ताजमहल देखा, तो वहां जो पत्तियां बनी थीं, मैंने पूछा कि ये किन लोगों ने बनाई हैं? अब ऐसे लोग क्यों नहीं हैं? तो बोले, आइए दिखा देते हैं। हमें ले गए,

लड़के एक लाइन से बैठे हुए वही संगमरमर की पत्तियां बना रहे थे। मैंने पूछा तो बताया कि गुजरात में एक जैन मन्दिर बन रहा है। उनका नाम पूछा तो सब मुसलमान थे। ये है हिन्दुस्तान ! ये क्या करेंगे? इन्हें क्या मालूम? ये कुएं के मेंढक हैं, ये वहीं रह जाएंगे। इनका कुछ नहीं होना है। मुझे दुख है, मैं खुशी से नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग थे। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान के थे और उनकी सोच के बहुत लोग वहां हैं, लेकिन वे minority में हैं, वे कमज़ोर हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहां आम इंसान भी अच्छा है। वह हिन्दुस्तान की फिल्में देखना चाहता है, हिन्दुस्तान के गाने सुनना चाहता है, हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री से impressed है, हिन्दुस्तान की democracy से impressed है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। जिन लोगों के हाथ में ताकत है, जिन लोगों के हाथ में फौज है, जिन लोगों के पास जागीरदारियां हैं और जागीरदारी उन्होंने खत्म नहीं कीं, वह लूट बाकी है। जब एक समाज में लूट रहे हों, जहां human rights न हों, जहां equality नहीं हो, तो उसे कवर करने के लिए आपको एक philosophy चाहिए होती है और वह philosophy उन्होंने अपने मज़हब की अख्तियार की, जिसके नीचे दरअसल economic exploitation है। जिसके नीचे इंसान पर जुल्म है, कभी इस बहाने, कभी उस बहाने। आपने एक minority का जिक्र किया, मैं जानता हूं कि वहां ईसाई minority के साथ क्या हो रहा है? तो आप यह सोचें, ज़रूर आप यह स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपके Ambassador जाएंगे, वे आएंगे, बात कर लेंगे। इतिहास का पहिया खुद चलता है। अगर Ambassadors फैसले करके दुनिया बदल सकते

तो क्या बात थी। यह वक्त का पहिया है और वक्त का पहिया गलत स्ट्रक्चर को तोड़ता है, तो आप इंतज़ार कीजिए।

अब आइए वापस आते हैं, जिस मुसीबत में मैं हूँ और हमारे हज़ारों लोग हैं। सर, बड़े ज़माने से ये तकलीफें थीं, लेकिन शायद हिन्दुस्तान के कलाकार समझते थे कि बोलेंगे, तो सुनने वाला कौन है? लेकिन अब वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कानून भी बदलेगा और हिन्दुस्तान के कलाकारों की किस्मत भी बदलेगी। तो आज इस यकीन से उनके बारे में बोल रहा हूँ कि इस किनारे से उस किनारे तक इस सदन में जितने लोग हैं, वे मेरी बात पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, पूरे दिल से सुन रहे हैं और अगर बात हिन्दुस्तान के संगीतकारों और गीतकारों की है, तो ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए कि यह मुल्क, यह धरती गीतकारों और संगीतकारों की है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच्ची है। दुनिया में कौन सा दूसरा मुल्क है, जहां एक मुल्क में classical परम्परा की दो traditions सैकड़ों साल पुरानी हैं - हिन्दुस्तानी और कर्णाटक। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां लोक संगीत के इन्द्रधनुष में इतने रंग हों, जितने यहां हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र से मणिपुर तक जाकर देख लीजिए, क्या-क्या रंग हैं म्यूज़िक में? दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पवित्र ग्रंथों में भी शायरों का नाम और काम मिलता है? हमारे गुरु ग्रन्थ साहिब, हमारे रामचरितमानस में “रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाइ पर वचन न जाई” - राजा दशरथ रानी

कैकेयी से यह महाकवि तुलसीदास के शब्दों में कहते हैं। दुनिया में कहां ऐसा मुल्क है, जहां जन्म से लेकर मरण तक कोई जगह नहीं, कोई पल नहीं, कोई क्षण नहीं, जिस पर सैकड़ों गीत न हों? वह एहसास की कोई मंज़िल हो, वह भावना की कोई रुत हो, वह ख्याल का कोई रंग हो, आपको सैकड़ों गीत मिल जाएंगे।

(4A/SC-SSS पर जारी)

[-mp/sc-sss/6.15/4p](#)

श्री जावेद अख्तर (क्रमागत) : फिर हमारे फिल्मी गीत हैं, जो रिलीज़ होते हैं तो फिल्मी गीत हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे लोकगीत बन जाते हैं। वक्त की छलनी से सब कुछ बह जाता है - ऐक्टर का चेहरा, फिल्म का नाम - और वह अमर गीत रह जाता है जो आपके अतीत का, आपकी यादों का हिस्सा बन जाता है। आज आपके कानों में जब कोई पुराना गीत गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे लड़कपन के किसी दोस्त ने कंधे पर हाथ रख दिया हो और कह रहा हो, बैठो, कहां जा रहे हो, बात करो। यादों का मेला लग जाता है। यह गीत कहां सुना था, कब सुना था, किसके साथ सुना था और कभी-कभी यह भी याद आता है कि किसके लिए सुना था। हैरत होती है और हैरत से ज्यादा ग़म होता है कि जिस मुल्क में संगीत के और शायरी के इतने चिराग रोशन हों, उनके नीचे देखिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। जिस अंधेरे में हिन्दुस्तान के राइटर्स और म्यूज़िशियंस की जिंदगी बरसों से लाचार और बेबस भटक रही है। लेकिन दिल में एक उम्मीद है कि एक दिन आएगा, जब हमारी सुनी जाएगी। एक दिन आएगा जब हमें इंसाफ

मिलेगा, एक दिन आएगा जब हमें हमारा अधिकार मिलेगा। “आएगा आने वाला” बहुत मशहूर गीत था। साठ साल से ज्यादा पुराना गीत है। यह गीत कम्पोज किया था, पंडित खेमचंद प्रकाश ने, जो अपने जमाने के बहुत बड़े संगीत विद्वान थे। पिछले दिनों एक अजीब वाकया हुआ। सर, जब एक गाना रिकॉर्ड होता है तो उसमें दो रॉयल्टीज़ जेनरेट होती हैं, एक साउंड रिकॉर्डिंग रॉयल्टी कहलाती है जो साउंड रिकॉर्डिंग का मालिक है, प्रोड्यूसर या म्यूज़िक कम्पनी, उसके लिए होती है और एक परफॉर्मिंग होती है जो राइटर और म्यूज़िशियन के लिए होती है। यहां पर भी यह कानून है - यह अभी नहीं आ रहा है, यह कानून पहले से है - और बाहर भी है। बाहर ज़रा थोड़ा सा अलग है, वहां सचमुच राइटर और म्यूज़िशियन को पैसा दे देते हैं। वहां पर कहीं 13-14 हजार रुपये खेमचंद प्रकाश जी के अकाउंट में इस गाने के लिए जमा हो गए। वह पैसा यहां भेजा गया। खेमचंद प्रकाश जी तो इस दुनिया में नहीं हैं। जब ढूंढा गया तो उनकी पत्नी मलाड में स्टेशन पर भीख मांगती हुई मिल गयी। यह कोई बहुत हैरत की बात नहीं है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। इसी तरह ओ.पी.नैयर साहब थे। मुझे याद है, मैं तब छोटा सा था तो एक फिल्म आयी थी – “मुजरिम”, जिसमें शम्मी कपूर और पद्मिनी हीरो-हीरोइन थे। उसके पोस्टर पर हीरो-हीरोइन की तस्वीर नहीं थी बल्कि हारमोनियम लिए ओ.पी.नैयर साहब खड़े थे – सुर के जादूगर, ओ.पी.नैयर। वे ओ.पी.नैयर मुम्बई के बाहर नाला सुपारा नाम की एक छोटी सी बस्ती है, वहां पर अपनी आखिरी उम्र में एक फैन के घर में छोटे से कमरे में रहे थे और होम्योपैथी के इलाज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, जबकि उनके

सैकड़ों गाने बजते रहे और उसकी रॉयल्टी म्यूज़िक कम्पनीज़ लेती रहीं। इसी तरह से मज़रूह, शैलेन्द्र, गुलाम मोहम्मद – आपको कितने नाम बताऊं, जिन लोगों ने क्या-क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है? शैलेन्द्र जैसा गीतकार क्या कभी फिर पैदा होगा? क्या बर्बाद खती है? क्यों, क्या वजह है? अगर हमारे यहां भी रॉयल्टी की इजाज़त है, हमारे यहां भी रॉयल्टी का कानून है..(व्यवधान).. इन शहीदों की बड़ी लम्बी लिस्ट है, किस-किसका नाम लें? “नाम किस-किस के गिनाऊं, तुझे याद आए।” इसकी क्या वजह है? इसके मुकाबले में दूसरी तरफ चलिए। 69-70 में बीटल्स की टीम टूट गयी थी। पिछले साल सिर्फ Paul McCartney को, जिसने अपनी जिंदगी में 27 गाने लिखे, 16 मिलियन डॉलर गाना लिखने की रॉयल्टी मिली है। Elton John, जिसने पांच साल से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, पिछले साल उसे 22 मिलियन डॉलर्स रॉयल्टी मिली है। हमारे यहां जो रॉयल्टी का सिस्टम है, हमारे यहां आईपीआरएस है, Indian Performance Rights Society है, आप ही की दुनिया से जमा भी की जाती है। यह कहां चली जाती है? आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह एक compulsory move है जो हर कॉन्ट्रेक्ट में, वह चाहे भारत रत्न पंडित रवि शंकर के लिए हो या दो ऑस्कर के विनर ए.आर.रहमान के लिए हो या मेरे जैसे मामूली आदमी या गुलज़ार के लिए हो, यह कंडिशन उसमें होती है। “The rights assigned, included but not restricted to the rights of mechanical, digital, reproduction, in any manner or format or media whether existing or future, publication, broadcasting,

reproducing, hiring, granting, translation, adaption, synchronization, making and used in a cinematographic film, performing in public, publishing in any other way, whole or part of the literary work, the rights to grant the mechanical and reproduction, publication, sound and television, broadcasting, transmission over the airways, electronically or through satellite or literary works." Now, here the plot thickens.

(contd. by NBR/4B)

GS-NBR/4B/6.20

श्री जावेद अख्तर (क्रमागत): 'Including all forms of communication, transmission, reproduction and exploitation of the literary work that may be discovered or invented in the future. The said work has been assigned by me for good and valuable consideration.' यह bonded labour नहीं तो क्या है? सिर्फ अंग्रेजी में लिख दिया, है तो bonded labour और इसके ऊपर किसने शिकायत की? भारत रत्न रो रहा है। भारत रत्न मंत्री जी को, LoP को और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि साहब ये रॉयल्टी का चेंज करा दीजिए। अगर ए.आर. रहमान और पंडित रवि शंकर को यह शिकायत है, तो बाकियों की हालात सोचिए क्या होगी ? इससे भी ज्यादा एक शर्म की बात यह है कि यह कांट्रेक्ट सिर्फ हिन्दुस्तानी देसी कम्पनियां ही साइन नहीं करवातीं हैं, बल्कि जो जापान की हैं, जो जर्मनी की हैं, जो अमेरिका की हैं,

इनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि जापान में, जर्मनी में या अमेरिका में किसी फनकार को, किसी कलाकार को यह कहें कि इस पर साइन कर दो। क्या फर्क है इनमें और ईस्ट इंडिया कम्पनी में और क्या फर्क है उन हिन्दुस्तानी कम्पनियों में और मीर जाफ़र में, जो इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमारे कलाकार से, किस-किस से, मैं आपको नाम सुनाऊंगा, ये सिर्फ फिल्म की एक प्रॉब्लम नहीं है, हरेक की है। आप इन्हें जलील कर रहे हैं और ये सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं है, जब इतनी grip होती है, मार्केटिंग इतनी strong हो जाए, तो creativity pays. मुझे पिछले दिनों शिव कुमार शर्मा जी मिले, हमें proud होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा फनकार है, ऐसा कलाकार है। उन्हें एक म्यूजिक कम्पनी ने बुलाया। उनसे कहने लगे, देखिए, हम आपका ऐड बनाते हैं, आपका क्या है आप शुरू बड़ा धीरे-धीरे करते हैं। वह end में जो तेज़ होता है न, आप उससे शुरू कीजिए, folk चलेगा। यह म्यूजिक कम्पनी वाला शिव कुमार शर्मा को बता रहा है। उन्होंने कहा साहब, मेरे मोहल्ले में एक बैंड है, बारातों में जाता है, उसका ऐड बना लीजिए। मुझे माफ करना। एक बार मेरे साथ वाकिया हो चुका है। एक म्यूजिक सिटी में था, म्यूजिक कम्पनी के मालिक आ गये। मैंने सोचा शायद मेरे फैन होंगे, सुनने आये हैं मैंने क्या लिखा है। उन्होंने मुझे सुना और कहने लगे कि आपने पहली लाइन में एक वर्ड “रूठना” लिखा है, आप यह वर्ड निकाल दीजिए। मैंने कहा, क्यों ? वे बोले आजकल यह वर्ड चलता नहीं है। मैंने कहा कि कहां नहीं चलता है, बोले नहीं, नहीं। मैंने उन्हें कई गाने सुनाये, जिनमें “रूठना” वर्ड आया। उन्होंने कहा कि कभी होगा, यह वर्ड आप निकाल दीजिए।

मैंने कहा कि भाई, अगर आपको इस तरह से काम करना है, तो मैं तो कर नहीं सकता हूँ, आप किसी और को ले लीजिए। वह मेरी बड़ी इज्जत करता था। अगले ही दिन मेरी बात मान गया और किसी और को ले लिया, मुझे निकाल दिया। जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं, वे क्या करें? वे कहते हैं कि देखिए, आपने तो गाना लिखा, किसी ने म्यूजिक दिया, एक प्रोड्यूसर ने बड़ा पैसा खर्च करके उसे तैयार किया, उस प्रोड्यूसर ने उस गाने को बड़े-बड़े स्टार्स पर, बड़ी अजीब-अजीब लोकेशन पर जाकर पिक्चराइज़ किया, उसमें बड़े-बड़े शॉट डाले, बड़े-बड़े विजुअल डाले, ये सब किस काम के लिए किया, फिल्म के लिए किया। ये फिल्म प्रोड्यूसर है, यह म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है। इसे यह गाना फिल्म के लिए चाहिए, यह गाना वह फिल्म के लिए record करता है। हम तो फिल्म से कुछ नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारी फिल्म सुपरहिट हो जाए, तुम जानो, न चले तुम जानो, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। फिल्म बड़ी से बड़ी हिट हो जाए, मैंने बहुत सुपरहिट फिल्में लिखी हैं, मेरे पास तो कोई प्रोड्यूसर आया नहीं कि हजूर, आपने तो शोले लिख दी, दीवार लिख दी, त्रिशूल लिख दी, ये लीजिए, खुशी से आपके लिए लाया हूँ, हमने तो नहीं देखा। ये तो पिक्चर के लिए था, हमने पैसा ले लिया, अब आपकी किस्मत, आप कैसी पिक्चर बनाते हैं, हम तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हिट है, तो भी आपकी क्रेडिट और फ्लाप है तो भी आपकी क्रेडिट। जब आप इसमें से निकालते हैं और दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी जो रॉयल्टी होती है, जरा देखिए, सरकार ने कानून बनाया था कि वह 50 फीसदी जाएगी आर्टिस्टों को और 50 फीसदी हमें जाएगी। हम लोगों

ने वहां पर कहा कि नहीं। अचानक ऐसी बात होगी, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। आप 75 फीसदी उन्हें दे दीजिए और हमारे कहने पर चेंज किया गया, यह शराफत हमारी थी। मगर उनकी शराफत यह है कि उन्हें 99 नहीं चाहिए, उन्हें 100 चाहिए। यह तो दूसरी जगहों से आ रहा है, अगर यहां भी उनका हक है तो एक काम कीजिए। एक आदमी एक फिल्म बनाता है, उसमें शाहरूख खान हीरो है, पिक्चर चली, नहीं चली, कोई बात नहीं, मैं उसमें से चार शॉट निकाल कर, मैं प्रिंट का मालिक हूं, एक ब्यूटी के ऐड में इस्तेमाल कर लेता हूं।

(ASC/4C पर जारी)

4c/6:25/asc-ks

श्री जावेद अख्तर (क्रमागत) : मुझे इसका हक है। वह कहेगा कि मैंने यह शॉट तो फिल्म के लिए दिया था, आपने ब्यूटी की ऐड में कैसे इस्तेमाल कर लिया? यही मेरा सवाल है कि जहां हमने फिल्म के लिए दिया था, वहां हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं। जब आप उसे फिल्म से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं तब भी हम कहते हैं आप 75 परसेंट ले लो और आप को साढ़े बारह परसेंट देने में तकलीफ है। यह तो लालच की बात है, बहुत छोटी बात है। एक साहब गुप्ता जी हैं, कहने लगे कि साहब यह तो होगा कि आप एलाऊ नहीं करेंगे, आप सारी रॉयल्टी ले लेना। यहां इसमें copyright एसाइन्मेंट बैन नहीं है। यह सिर्फ discipline किया गया है कि आप उनसे इतनी रॉयल्टी नहीं ले सकते या आप नहीं दे सकते। यह पाबंदी प्रॉड्यूसर्स पर नहीं है, म्यूजिक कम्पनीज पर नहीं है, यह पाबंदी तो हम पर है, आर्टिस्ट्स पर है, राइटर्स पर है। लेकिन शिकायत उन

लोगों को है, हम लोगों को शिकायत नहीं है। हिन्दुस्तान के सारे कलाकार अपोजिशन की ओर तथा सरकार की ओर हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ इसे 25 परसेंट बोनाफाइड करवा दीजिए। आप इसमें से 75 परसेंट ले रहे हैं, फिर आपको और क्या चाहिए? मगर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर हिन्ड्रेन्स है। अच्छा, minimum wages legislation भी कॉन्ट्रैक्ट पर हिन्ड्रेन्स है? आज हम जहां दिल्ली में खड़े हैं, यहां एग्रीकल्चर में skilled labour भी 328 रुपए से कम में काम नहीं कर सकता और unskilled labour 270 रुपए से कम में काम नहीं कर सकता। वे कह रहे हैं कि साहब, मैं डेढ़ सौ रुपए में करने को तैयार हूं। उन लोगों के लिए तो hindrance of contract हो गया। Dowry Prohibition Act क्या है? एक आदमी है और उसकी बेटी है, वह डावरी देने को तैयार है। उसकी बेटी डावरी के लिए तैयार है, लड़का डावरी लेने के लिए तैयार है और लड़के का बाप भी खुश है। सरकार को क्या ऐतराज है? सरकार को ऐतराज यह है कि उसे मालूम है कि यह इक्वल फैसला नहीं हो रहा है, यह मजबूर है। हमें इसको राकना पड़ेगा। child labour में क्या गड़बड़ है? जो Child Labour (Prohibition and Regulation) Act है, वह क्या है? अरे भाई, मां-बाप अपने बच्चों से काम करवाने को तैयार हैं, बच्चा तैयार है और कारखाने वाला भी तैयार है। हमें मालूम है कि यह तैयारी किस हालत में होती है। यह भी देखिए कि पिछले बीस बरस में स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट लाकर दो, जिसमें राइटर्स ने अपनी पब्लिशिंग राइट तुम्हें नहीं दिए। वे नहीं ला सकते, इसलिए है ही नहीं। ये bounded labour हैं। उसके बाद हमदर्दी भी है, कह रहे हैं कि अगर उसको

जरूरत पड़ गई, अचानक सब देखना चाहे, तो आपने तो उसका हाथ बांध दिया। मैं श्री एन.के. सिंह जी की इजाजत से शेक्सपियर को क्वोट करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि यहां कम से कम इस हाउस में उनके पास copyright है। ..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN):

You were actually allotted 20 minutes. We have to complete it on time.

SOME HON. MEMBERS: Let him speak, Sir. (Interruptions)

SHRI TIRUCHI SIVA: This is his maiden speech, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJEEV SHUKLA): If this is his maiden speech, then, let him continue.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN):

Now, maiden speech is also restricted to twenty minutes.

SHRI TARIQ ANWAR: In the last two years, he has not made any speech. (Interruptions) He should be given a special treatment.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): All right. But there are thirteen Members who have yet to speak.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Let him speak, Sir.

श्री जावेद अख्तर : यह पता नहीं किसका नजरिया है, जब मेरी बारी आई तो पर्दा गिरा दिया। सर, मैं सिर्फ चार या पांच मिनट और लूंगा। "It is time to fear when tyrants kiss". जब जालिम हमदर्दी करे तो डरने का वक्त है। जब म्यूजिक कम्पनीज कह रही हैं कि बेचारे राइटर का क्या होगा अगर इसके बाद ये राइट नहीं हुए तो? इसके खिलाफ कौन लोग हैं, जो खास जनों से कहते हैं कि भाई, यह मत कीजिएगा। आप जरा उनके नाम सुन लीजिए। सारे नाम तो बहुत ज्यादा हैं, मैं सारे नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ नाम अवश्य बता देता हूं, पं० रवि शंकर, पं० शिव कुमार शर्मा, पं० हरिप्रसाद चौरसिया, शोभा मुदगिल, विशाल भारद्वाज, गुलजार, प्रसून जोशी, जगजीत सिंह, अमजद अली खान, अमान अली खान और अयान अली खान। रवि जी, तो इंतजार में ही चले गए, जगजीत सिंह भी इंतजार में ही चले गए, इनके भी सिग्नेचर हैं। विशाल शेखर ...(व्यवधान).. वे तो टेलेंटेड थे। (4d/LT पर जारी)

LP/6.30/4d

श्री जावेद अख्तर (क्रमागत) : इनमें और भी बहुत से नाम हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सारे नाम तो हैं ही, कलाकारों के भी नाम हैं। इनमें जाकिर का नाम है, इनका नाम है, साउथ के सारे बड़े सिंगर्स का नाम है, ए.आर.रहमान का नाम है, बंगाल के सारे बड़े सिंगर्स और म्यूजिशियन्स का नाम है। ये लोग कहते हैं इसको कर दीजिए। क्यों भई? अच्छा, एक बात और है, ये कहते हैं कर दीजिए, लेकिन यह पुराने पर नहीं होना चाहिए। यह बात किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही नहीं है। मतलब, यदि यह बिल आ जाए और आप कल को यह कहें कि मेरा

गाना 1960 से रिलीज हुआ था, आप मुझे उसका हिसाब बताइए, तो यह बेकार बात है, क्योंकि कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लग सकता है। ऐसा कानून है कि अगर अब वह गाना बजेगा तो उसकी रॉयल्टी होगी, तब, उस वक्त, आपने जो कर दिया, वह कर दिया, आप उसको भूल जाइए, हम भी भूल जाएंगे, इसलिए जब तक यह नहीं होता, यही एक तरीका है, क्योंकि सारे म्युजिशियन्स, सारे राइटर्स गलत नहीं हो सकते हैं। एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ ये मल्टी नेशनल्स हैं, बड़े-बड़े प्रॉड्यूसर्स हैं, जो pretend कर रहे हैं कि प्रॉड्यूसर्स का बहुत नुकसान है। दरअसल जो अप फ्रंट मनी होती है, वह तो केवल दस, बारह प्रॉड्यूसर्स को मिलती है, बाकियों को एक नया पैसा तक नहीं मिलता है। जब यह बिल आएगा, तब पहली बार उन छोटे प्रॉड्यूसर्स को पैसा मिलेगा, वह इसलिए क्योंकि पब्लिशिंग हमारे हाथ में होगी और वह पब्लिश होगा, वरना म्युजिक कम्पनियां सब ले जाती हैं, उसे बेच देती हैं। 90 परसेंट प्रॉड्यूसर्स को इससे फायदा ही होना है और सच तो यह है कि 10 परसेंट, जो यह समझ रहे हैं कि उनका नुकसान होगा, उनको भी फायदा ही होगा, क्योंकि वे जितने में बेचते हैं, वह कम है। लेकिन जब तक यह बिल पास नहीं होगा, तब तक यह जुल्म, यह सितम, यह लूट चलती ही रहेगी। यह एक अंधेरा है, जिसमें हम चल रहे हैं। मुझे वह शेर याद आता है कि,

*सियाह रात, नहीं नाम लेती ढलने का,
यही तो वक्त है, सूरज तेरे निकलने का*
इसलिए यह बिल आज पास होना चाहिए। शुक्रिया।

(समाप्त)

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : मंत्री जी, आप बताइए, आपका क्या आदेश है? हम उसी के अनुसार चलें, नहीं तो बैठ ही जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : आप बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। अभी जावेद साहब की मेडेन तकरीर हुई, जिसमें content भी था, इमोशन भी थे, आह्वान भी था और शायद उन्होंने पूरी सर्जना के महकमे को दो फ़र्कों में बांटने की कोशिश भी की थी। यह अच्छा है और हम उनका सम्मान करते हैं। सर, हिन्दुस्तान में सर्जना का सम्मान समाज अपने आप करता है। उन्होंने तुलसी की चर्चा की, तुलसी ने रामायण लिखी और वह अपने आप लोगों की जुबान पर आ गई। कॉपीराइट का सम्मान होना चाहिए। मैं आपको यह स्पष्ट बता दूँ कि मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के इस मानस में, जब कोई सर्जना समाज के साथ अपने आप मिल जाती है, तो समाज उसे अंगीकार करता है। शायद, किसी भी नई जनरेशन को तुलसी की रामायण के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है और यह भी जानने की इच्छा नहीं होती है कि तुलसीदास को क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्योंकि उनकी कीर्ति समाज सम्मान के साथ अंगीकार करता है और याद रखता है। 500 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कबीर के दोहे आज तक लोकप्रिय हैं, रहीम के दोहे आज तक लोकप्रिय हैं, जया जी यहां बैठी हुई हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला

शायद सन् 37 में लिखी गई थी, लेकिन वह आज भी वही संस्कार देती है, जो सन् 37 में देती थी। हिंदुस्तान का समाज सर्जना का सम्मान करता रहा है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि जो शोषण करते हैं, वे इस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सर्जना कई प्रकार की होती है। एक सर्जना होती है, जो व्यक्ति खुद लाता है, उदारहणार्थ श्री रवि शंकर जी सितार बजाते हैं।

(4 e/akg पर जारी)

AKG-TDB/4E/6.35

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : श्री शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, अमजद अली साहब सरोद बजाते हैं। उनकी सर्जना एक solo performance होती है। जावेद साहब फिल्मों के गीत भी लिखते हैं और जावेद साहब “लावा” भी लिखते हैं। “लावा”, जो उनकी किताब है, अभी हाल में जो book release हुई थी, वह उनकी solo रचना है, सम्मान होना चाहिए। हम इसे किस रूप में देखना चाहते हैं, यह देखना बहुत जरूरी है।

जहाँ तक फिल्मी गीतों का सवाल है, उसके बारे में हमें एक-दो टिप्पणी जरूर करनी है। फिल्मी गीत के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, तो it is a collective effort. एक संगीतकार ने अपनी रचना लिखी। उपसभाध्यक्ष जी, मैं देवानंद साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जब मैं वाजपेयी जी की सरकार में I&B Minister था, तो उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का फैसला हुआ था। उनका एक गीत मुझे बहुत प्रभावित करता है — “हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, मैं ज़िन्दगी का साथ निभाता चला गया”।

यह “हम दोनों” की बहुत ही ज़हीन रचना है। जिसने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा; जिसने म्यूजिक दिया, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया; लेकिन शायद वह गीत सदाबहार नहीं होता, अगर देवानंद ने “हम दोनों” में उसे नहीं गाया होता। यहाँ जया जी बैठी हुई हैं। जया जी, मुझे आज यह कहना पड़ेगा कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से आपका मुरीद रहा हूँ और मैं दिल से बोल रहा हूँ। आपकी एक्टिंग का, माफ करेंगे, I must clarify. मुझे ‘गुड्डी’ का एक गीत याद है - “हमको मन की शक्ति देना”। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वह गीत एक स्कूल की एक बड़ी अच्छी प्रार्थना थी, जहाँ वे गा रही थीं उस फिल्म में, लेकिन वह गीत आज तक इसलिए हमारे ज़ेहन में है कि जया जी ने उसे ‘गुड्डी’ में गाया। “हम दोनों” का एक और गीत मुझे याद आया – “अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम”। ये सब collective effort के परिचायक हैं। जावेद साहब, हिन्दुस्तान की परम्परा यह भी है कि “बैजू बावरा” में “मन तड़पत हरि दर्शन को आज” शकील साहब ने लिखा, नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया और मोहम्मद रफी ने गाया – “मन तड़पत हरि दर्शन को आज”। हिन्दुस्तान में यह है सर्जना की परम्परा। ... (व्यवधान) ... आप ज़रा शान्त रहिए, एक गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरा कहना केवल यह है कि जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। Individual artist, पूरा सम्मान; फिल्म प्रोडक्शन, पूरा सम्मान; लेकिन सबों का सम्मान। मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देख रहा था, जब फिल्म बनती है, तो उसमें कोरियोग्राफर्स भी होते हैं, उसमें टेक्निशियंस भी होते हैं,

उसमें छोटे आर्टिस्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में यह बिल क्या कह रहा है? जब संसद यहाँ बैठ कर बात कर रही है, तो संसद सबों की बात करेगी। जावेद साहब की रचना की बात होगी, रहमान साहब के संगीत की बात होगी, गाने वाले की बात होगी, लेकिन उस गाने में जिसने कोरियोग्राफी की है, जो गरीब लाइटमैन है, जिसके कारण वह फिल्म चमकती है, उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है? मुझे याद है, एक पिकचर थी – “कागज के फूल”। मैं गुरुदत्त की फिल्मों का भी बड़ा फैन हूँ। बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। उस फिल्म में जब गुरुदत्त बूढ़े होकर आते हैं, उसमें lighting बहुत famous थी, वह 50s की पिकचर थी। उस फिल्म में जो lighting करने वाले थे, उनकी ज़िन्दगी बुढ़ापे में कितनी गुरबत में गुजरी, उस पर मैंने एक लेख देखा था। आज मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उस गाने को लोकप्रिय करने वाले जो छोटे-छोटे लोग हैं, इस बिल में उनकी क्या चिन्ता की गई? यह सवाल हम बहुत इज्जत के साथ उठाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें इसके बारे में बताया जाए। जावेद साहब, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, जो गीत लिखते हैं, जो गीत गाते हैं, उनका सम्बन्ध होना चाहिए, शोषण बंद होना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो फिल्म बनाने वाले हैं, उनका क्या कहना है?

(4एफ/एससीएच पर जारी)

SCH-KLS/6.40/4F

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : एक तस्वीर जो उन्होंने उनकी रखी, They may fit in Marxian concept of the great exploiters. Maybe, he is right;

he has the firsthand experience. लेकिन इसका एक दूसरा स्वरूप यह है कि अगर हम फिल्म न बनाते, तो क्या जावेद अख्तर, जावेद अख्तर बनते? इस टीम एफर्ट में अगर हसरत जयपुरी और शैलेन्द्र को राज कपूर जगह नहीं देते, तो क्या शैलेन्द्र, शैलेन्द्र बनते? अगर मुकेश की आवाज को राज कपूर अपने गले से न उतारते, तो क्या मुकेश, मुकेश बनते? ये सवाल हैं, जिनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा और जिनके बारे में ईमानदारी से सोचना पड़ेगा।

मैं चाहूंगा, मंत्री जी, जब आप बिल बना कर लाए हैं और संसद में हम आपका समर्थन कर रहे हैं, तो सभी के हितों की थोड़ी-थोड़ी चिन्ता होनी चाहिए, ताकि आगे से इसमें बिल्कुल कठिनाई न आए। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिसके बारे में थोड़ी चिन्ता करने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं फिल्म के म्यूज़िक का मुरीद हूं, क्योंकि हिन्दुस्तान की फिल्में हिन्दुस्तान को जोड़ने में बहुत बड़ा काम करती हैं। अभी देखिए, दक्षिण भारत में एक गाना बना 'कोलावेरी डी'। 'कोलावेरी डी' तमिल में गाया गया ...(व्यवधान) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 'कोलावेरी डी' तमिल में गाया गया और एक हफ्ते में पूरा हिन्दुस्तान उस गीत पर अपने पैर थपथपा रहा था। श्री इंडियट्स में आमिर खान ने 'ऑल इज़ वेल' गाया। जब वह पिक्चर आई, मुझे याद है, उस समय मैं असम गया हुआ था, उसके आगे त्रिपुरा हो या दक्षिण भारत हो, लेकिन 'ऑल इज़ वेल' हिन्दुस्तान में सभी की ज़बान पर था। ...(व्यवधान) आपने ठीक कहा, 'मेरा जूता है जापानी' आज तक चलता है। हिन्दुस्तानी फिल्मों से, उसके गानों से अगर हिन्दुस्तान की आवाम जुड़ती है, तो

फिल्म का मंच, रचनाकार की कृति, गाने वाले की कला और बनाने वाला का पुरुषार्थ, इन सबको साथ मिलाकर वह प्रोडक्ट निकलता है, जिसे हिन्दुस्तान की जनता प्यार से अपनाती है और जिन्दा रखे रहती है।

अब जया जी हमारे हाउस की मेम्बर हैं ...(व्यवधान) रेखा जी भी आ गई हैं। जया जी तो हमारी बहुत ही सीनियर मेम्बर हैं। आपने उस गीत का जिक्र किया इसलिए मैं उसी गीत पर आता हूँ। एक नज़्म 'दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए', Sir, it is a very nice poetry, I must tell you. लेकिन अगर यह गीत 'उमराव जान' में रेखा जी उस संगीत के साथ नहीं गातीं, तो यह गीत इतना लोकप्रिय नहीं होता, इसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक तो सर्जनाकार की अपनी रचना होती है, सोलो परफॉर्मेंस होती है और एक गुप इनिशिएटिव होता है। मुझे लगता है, माननीय मंत्री जी, जब आप उत्तर देंगे, तो आप इसे अवश्य देखिएगा कि आप किस तरह से इस पूरे मामले का सामंजस्य बैठाएंगे, खासकर जो छोटे कलाकार हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, लाइट-मैन हैं, गुप सिंगर्स हैं। अगर गाना लोकप्रिय होता है, तो उन सभी को कुछ न कुछ हिस्सेदारी जरूर मिलनी चाहिए, यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे। आप अपने उत्तर में इसे अवश्य शामिल कीजिएगा।

अब आपके बिल के बारे में मुझे कुछ स्पैसिफिक सवाल पूछने हैं। Sir, a few minutes more. आजकल मैं बहुत कम बोलता हूँ, मुझे पार्टी से बोलने का मौका ही बहुत कम मिलता है, इसलिए आज आप मुझे बोलने दीजिए

...(व्यवधान)। Hon. Minister, when I was going through the Objects of this Bill, I found that you have said that this Bill has been enacted to fulfil the obligations of the WIPO Copyright Treaty and WIPO Performances and Phonograms Treaty. This is how I see it. Therefore, you have also taken note of new expressions whereby you have used those expressions in this Bill. I will come to that separately. But you also say that the Government of India is yet to approve these Treaties. Why have these Treaties not been approved? It is very important. If these Treaties have not been improved, what is the compulsion to have this? Are these Treaties not being approved because there are lot of things therein against India's interest?

(Contd by 4G/PK)

-KLS/PK-PSV/4G/6.45

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (CONTD.): This is my information, Sir. I am saying this because in terms of digital creation, in the IT field, our great people have done a wonderful job. Therefore, the West is having a problem with that. There were serious reservations for the movements of goods, and also for the movement of human beings. But if these Treaties have not been approved, why have they not been approved? If they have not been approved, what is the

compulsion to have the law? This is the question I would like to ask from the hon. Minister.

My second question is this. You have already explained to us that you have decided not to include the Principal Director concept. Therefore, I have to make certain submissions on that.

Now, I come to another aspect, that is, Section 31 of the original Copyright Act. We are very curious and a little disturbed to notice this kind of an amendment. Mr. hon. Minister mentioned about Section 31 of the Copyright Act of 1957. It says: "If at any time, during the term of copyright, in any Indian work which has been published or performed in public, a complaint is made..." Now, under this law, you are saying that for the words 'any Indian work', the words 'any work' shall be substituted. Why this? I fail to understand. What is the implication? What is the compulsion? What is the objective you would like to secure out of this? We would like to know this from you. This, indeed, is very important.

Then, comes paragraph 16 whereby you have sought to make amendments to Section 31 (A) of the Principal Act. This says: "Compulsory license in unpublished Indian works." Here also, you propose to make an amendment. In the marginal heading, for the

words 'Indian work', the words 'or published work' shall be substituted. My apprehension, hon. Minister, is that this particular law was designed for a specific purpose — recognition of the work of Indian authors who are living in penury, or are living in ignominy or unknown existence. Their rights need to be brought about; we have no problem with that. But why is the word 'Indian' being deleted and 'any published work' is being included? This is a very serious situation. We are deeply concerned about this. After all, you have just heard a great commentary on the eloquence of Mr. Javed *sahib* that world over, the creativity of authors of films, songs and books are being recognised and they are paid handsomely. That is good. But the Indian authors are not being properly protected; therefore, there is a need for the amendment. Now, why is the word 'Indian' being deleted? Do we wish to include some work beyond India? Why so? Why are the words 'Indian work' being deleted? This is an issue on which I have a very serious reservation.

There are two more points, Sir. You have completely done away with 'Assignment'. It will be void.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Only 'assignment of royalty, not 'assignment'.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Now, you have allowed 'assignment' in certain conditions. My query here would be that the objective of that is well taken, but there can be a case where this window should not be closed completely. For instance, a creator is dead and none of his heirs are available. Suppose some of his distant heir wants to make a one-time settlement; the law completely prohibits that. Would hedging the maximum tough conditions be permissible? Suppose the heir of a good author or a creator is able to negotiate good terms of condition where, the heir or a distant heir of a creator is going to settle abroad, in America or somewhere else. I think there should be some window for that. मंत्री जी, मुझे लास्ट में एक बात कहनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट मर गया और टीवी पर उस पर श्रद्धांजलि आ रही है, तो उसके गीत हम एक मिनट सुन भी नहीं सकते? यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत की फिल्मों ने, भारत के शास्त्रीय संगीत ने और भारत के फिल्म-संगीत ने, इन सबों ने, इस देश को बनाने और जोड़ने का काम किया है।

(4एच/पी.बी. पर जारी)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (CONTD.): Sir, I am always very proud of the great explosion of India's cultural milieu, and, in that, I also include television and other things. One of my favourite programmes on 'Times Now' is 'Total Recall', whereby, the great contribution of old film maestros in film music -- the choreographers, the dress designers, everything -- is sought to be re-lived today and it is all historically very well informed. Should we see a situation that all these programmes will come to a complete stop? Therefore, the rights of creators need to be protected. Their exploitation needs to end. Therefore, we support these Bills completely. But these concerns which I have raised need to be protected क्योंकि, उपसभाध्यक्ष जी, यह जो सर्जना की सरिता है, यह हमेशा बहनी चाहिए, यह सूखनी नहीं चाहिए। इसका ध्यान रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN):

Mr. Shantaram Naik. Please confine to five minutes only.

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, I require a minimum of ten minutes.

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष जी, जया जी को बुलवा दीजिए, उसके बाद मंत्री जी का जवाब करवा दीजिए। ... (व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: शान्ताराम जी तो हमेशा फिल्मों के against ही बोलते हैं।...(व्यवधान)...

श्री शान्ताराम नायक: नहीं, नहीं, आपके समर्थन में बोलूंगा। ...(व्यवधान)...

{ The Vice Chairman (Prof. P.J. KURIEN) in the Chair }

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shantaramji, please take only seven minutes.

SHRI SHANTARAM NAIK: I will need a minimum of ten minutes. Sir, I am from Congress side.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is why I reduced some minutes.

SHRI SHANTARAM NAIK (GOA): Sir, at the outset, I would like pay my tributes to the great lyricist of this country. He began his speech by describing India-Pakistan relationship. I know he is a strong votary of the unity of the people of these two nations, and I would like to quote one of his songs which I quote several times in my public addresses, which describes that there are no borders between the two nations and that lyric is from the film 'Refugee'. “पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके, सरहदें इन्सानों के लिए हैं, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इन्सां हो के”

It means that it is 'we' who have created these borders, and for the birds which fly, for them, these borders do not exist. They fly without restrictions. This is one of his great lyrics and I pay my tribute to him for this.

Sir, as far as this Bill is concerned, this is quite an exhaustive Bill which treats the subject comprehensively. The earlier amendments in it were made in 1983, 1984, 1994 and 1999. The 1994 Amendment was an exhaustive one. This amendment is needed because of the advent of digital technology and Internet. In this scenario, the provision of protection of rights of people like Javedji has to be there, and, therefore, there is absolutely a need for having this legislation.

Sir, the Indian film industry is a great industry. In fact, we produce 1000 movies annually -- if my figure is wrong, Jayaji and Javedji can correct me -- and they employ about two million people. The people's feelings towards movies are such, especially, during old days, that a man could go without a meal, but he would not forgo a movie. That is the love or inclination towards movies in India, and I again pay my tribute to the entire film industry. Whenever wars had taken place, that is, in 1962, 1965, 1971, it was the film industry which had come to the forefront to get donations from the people, and the

people have also immensely contributed on account of the appeal made by them.

But, again, it is the film industry which has rendered this copyright into a mess. One producer says, ‘I am inspired by this movie; I am inspired by that song.’ And, I don’t know what is the definition of ‘inspiration.’ In fact, there are movies like ‘Woman of Substance’ from which a TV serial was made by Sahara. ‘*Mere Yaar ki Shadi*’ was taken from ‘My best friend’s wedding’. ‘*Kante*’ was taken from ‘Reservoir Dogs.’ ‘*Rafoochakkar*’ was from ‘Some like it hot.’ ‘*Dil Hai ki Manta Nahin*’ was from some other movie.

(Contd. by 4j/SKC)

4j/6.55/skc-ds

SHRI SHANTARAM NAIK (CONTD.): “Aradhana” was ‘inspired’ by “To Each His Own”. I am stating all this to show that a mess has been created by some in the film industry people themselves, who have thrown the concept of copyrights to the winds. “Abhiman” was inspired by “A Star Is Born”, Sholay by “Magnificent Seven”, and Karz by “Reincarnation of Peter Proud”. So, I don’t understand what these ‘inspired’ films are. Even the film industry has to answer to this ‘inspiration’ thing. Also, why does this piracy occur? It is because of

the kind of money one has to pay today to go to movies; it is Rs.150 to Rs.200. Why? Watching a film is costly because the Producer has to pay crores of rupees to the actors, to the musicians, to actors for their appearances in weddings. I don't know how much a lyricist gets these days. Maybe, people like Javed sahib get more money, but I don't know how much an average lyricist gets. Javedji's contribution to the film industry is tremendous. I can quote three-four films in which he has written beautiful songs, such as *1942-A Love Story*, *Tezab*, *Silsila*, *Border*, *Lagan* and *Zubeida*. These are very good films for which he has penned good songs. I am tempted to quote two more pieces of lyrics written by Javedji. It is from the film *Veer Zaara*.

“धरती सुनहरी, अम्बर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा,
बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा।”

Apart from these, there are lyricists from old films who have made tremendous contribution to the industry. We remember a forty year-old song:

“ऐ मालिक तेरे बन्दे हम, ऐसे हों हमारे करम,
नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हँसते हुए निकले दमा।”

These are not just songs; these are songs which would remain etched in history. Like for instance, there is a song:

“ऐ वतन, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लूटा जाएँगे,
फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएँगे।”

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You are only quoting songs; you must sing them too! (Interruptions)

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, I wish to quote another song, which I quote emotionally many a time in my public speeches.

“इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना,
हम चलें नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना।”

..(समय की घंटी).. Raviji quoted one song.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): नायक जी, सात मिनट हो गये।
..(व्यवधान)..

श्री शान्ताराम नायक: सर, बिल जल्दी पास होना है, यह इनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब ये बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त यह नहीं सोचा।
..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude, Mr. Shantaram. We would like to pass the Bill. (Interruptions)

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, I belong to the Ruling side! Nobody disturbed any of the other Members when they spoke. What is this? (Interruptions) I am perturbed. What is this going on? Nobody disturbed him, Sir. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We would like to pass the Bill. (Interruptions)

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, nobody disturbed Mr. Ravi Shankar Prasad when he was speaking. I am from the Ruling side and you wish to curtail my speech! (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. We would like to pass the Bill. Please cooperate. (Interruptions)

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, I am from the Ruling Party side and you wish to curtail my speech! (Interruptions) I am resuming my place in protest. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please cooperate. Don't be angry.

SHRI SHANTARAM NAIK: Why is this so? (Interruptions) Look at the time you have given to others. With due apologies to the Chair, I would say that this is not fair. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We would like to pass the Bill. (Interruptions)

DR. PRABHA THAKUR: Sir, he should be allowed to speak for five more minutes. (Interruptions) He should be allowed to continue. (Interruptions)

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, it is not only today, but we from the Ruling side have always been suffering. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All right.

SHRI SHANTARAM NAIK: No, Sir. I am not in the mood to continue now.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please sit down.

SHRI SHANTARAM NAIK: It is my right.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is your right. I had said that you had only seven minutes. It is my right also.

SHRI SHANTARAM NAIK: Fine.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): What is more important is to pass the Bill. (Interruptions)

(fd. by 4k/hk)